उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-69/2021/1176/26-3-2021
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2021

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-68/2021/223 मंत्री/26-3-2020, दिनांक-31.03.2021 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को समय से भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिये मशीनरी सामग्री जैसे-रोटी बनाने की मशीन, आटा गूथने की मशीन, भोजन गर्म करने की टेमरेचर मशीन, जूस बनाने वाली मशीन, सलाद काटने की मशीन इत्यादि की आपूर्ति हेतु रू0-484.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-31.03.2021 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीने और साज-सज्जा और संयंत्र मद के स्थान पर लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या-68/2021/223 मंत्री/26-3-2020, दिनांक-31.03.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

पृसं0-69 /2021/1176 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।